दिनांक 14.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 20 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांक 14.07.2025 को पुलिस मुख्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उ0प्र0 संवर्ग (2024 बैच) के 19 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा भेंटवार्ता के दौरान सर्वप्रथम अपना संक्षिप्त परिचय देते हुये प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात प्रशिक्षु अधिकारियों से उनके जिज्ञासा भरे प्रश्नों को पूछा गया। प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य तालमेल, साइबर अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही व अभियोजन विभाग के योगदान के बारे में अपनी जिज्ञासा के बारे में पूछा गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुये बताया गया किः—

- कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मध्य बेहतर तालमेल का होना बहुत जरूरी है। बेहतर तालमेल के आधार पर ही कानून व्यवस्था के दौरान मौके की स्थिति के अनुसार पुलिस बल का व्यस्थापन एवं निरोधात्मक कार्यवाहियों के द्वारा ही कानून व्यवस्था की स्थिति को संभाला जा सकता है।
- साइबर क्राइम के बारे में बताते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण भारत वर्ष में साइबर क्राइम से रोकथाम की दिशा में बहुत अधिक कार्य किया है भारत सरकार की हेल्प लाइन नम्बर 1930 साइबर रोकथाम की दिशा में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि जमीन सम्बंधी जो प्रकरण होते हैं उनके निस्तारण में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जमीन सम्बंधी प्रकरणों को प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप पूर्ण पारदर्शिता के साथ निस्तारित करना चाहिये क्योंकि ज्यादातर

घटनायें जमीन के विवाद के कारण होती हैं। इन विवादों का समय रखते सही निस्तारण होने से काफी घटनाओं को होने से रोका जा सकता है तथा जमीन सम्बंधी सभी अभिलेखों का अनलाइन अभिलेखीकरण होने से भी निस्तारण में काफी सहायता मिलेगी।

- उ0प्र0 शासन द्वारा जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु चलायी जा रही लाभप्रद आईजीआरएस योजना पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय से गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाना चाहिये।

अन्त में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु आईएएस अधिकरियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गयी तथा प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ भ्रमण पर आये हुए **श्री एल. वेंकटेश्वर लू**, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को मोमेन्टो भेंट कर सम्मानित किया गया।

पुलिस मुख्यालय भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय में **श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा,** पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण**, श्री दीपेश जुनेजा,** पुलिस महानिदेशक अभियोजन एवं **श्री बी0डी0 पॉल्सन,** अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस रेगुलेशन, अभियोजन एवं सीबीसीआईडी सम्बन्धित कार्यो की जानकारी दी गयी। तकनीकी सेवाएं मुख्यालय में भ्रमण के दौरान **श्री नवीन अरोड़ा,** अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं द्वारा सीसीटीएनएस, प्रचलित एप्स एवं फॉरेन्सिक विभाग की जानकारी व उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया। साइबर क्राइम मुख्यालय में भ्रमण के दौरान **श्री बिनोद कुमार सिंह,** अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम द्वारा साइबर क्राइम के रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्यो के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया। कानून–व्यवस्था में भ्रमण के दौरान **श्री अमिताभ यश,** अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था द्वारा राज्य में अपराध एवं कानून–व्यवस्था का परिदृश्य एवं पुलिस द्वारा संगठित अपराध पर रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाहियों के बारे में जानकारी दी गयी। पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर के भ्रमण के दौरान **श्री राहुल श्रीवास्तव,** अपर पुलिस अधीक्षक/पीआरओ, सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी।

तत्पश्चात प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों द्वारा मुख्यालय–112 का भ्रमण किया गया जहाँ **श्रीमती नीरा रावत,** पुलिस महानिदेशक–112 द्वारा इमरजेन्सी रिस्पांस टाइम के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी तथा मुख्यालय–1090 के भ्रमण के दौरान **श्रीमती पद्मजा चौहान,** अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा संगठन के कार्यो की जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी गयी।

दिनांक 14.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरूख पठान एसटीएफ टीम के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान मृत घोषित।

दिनांक 13/14–07–2025 की रात्री में शार्प शूटर अभियुक्त शाहरूख पठान के साथ थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र में एसटीएफ मेरठ टीम के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया, जिनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान चिकित्सको द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

मुठभेड में मारे गये अपराधी का विवरण–

शाहरूख पठान पुत्र जरीफ निवासी खालापार, थाना खालापार, जनपद मु0नगर

बरामदगी–

1. एक अदद पिस्टल बरेटा .30 बोर मेड इन इटली
2. एक अदद रिवाल्वर .32 बोर आर्डिनेंस मेड इन इण्डिया
3. एक अदद देशी पिस्टल 9 एमएम
4. 07 अदद जिन्दा कारतूस 9 एमएम
5. 10 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
6. 47 अदद जिन्दा कारतूस .30 बोर
7. 06 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
8. एक बिना नम्बर की ब्रेजा कार

मुठभेड़ का स्थान दिनांक व समय–

दिनांक–14–07–2025, समय 01.05 बजे ,स्थान–छपार–रोहाना रोड पर ग्राम बिजोपुर जाने वाला रास्ता थानाक्षेत्र छपार, जनपद मु0नगर।

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सक्रिय अपराधियों के सम्बन्ध में एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमे गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 13—07—2025 की रात्री को उप—निरीक्षक श्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 चालक रोमिश तोमर मय सरकारी गाडी नं0 यूपी—32 ईजी—4612 व उ0नि0 श्री दुर्वेश डबास, हे0कां0 दीपक कुमार, हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 चालक विनय कुमार मय सरकारी गाडी नं0—यूपी—32बीजी— 4553 की टीम कुख्यात संजीव जीवा व मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर व मु0नगर के हिस्ट्रीशीटर शाहरूख पठान पुत्र जरीफ निवासी खालापार मु0नगर जो मु0अ0सं0 226/2025 धारा 109/126(2)/308(5)/351(3) बीएनएस थाना बनियाठेर जनपद सम्भल मे वांछित हैं, की पतारसी/सुरागरसी जनपद मु0नगर में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश जो मुख्तार अंसारी व संजीव गैंग का शार्प शूटर है, और हत्या के मुकदमे के गवाह/पैरोकार को गवाही/पैराकारी न करने तथा जान से मारने का प्रयास कर रहा है तथा इस अपराधी का मु0नगर व हरिद्वार के व्यापारियों में काफी भय फैला हुआ है। वह आज अपने साथियों के साथ ब्रेजा गाडी से रोहाना की तरफ से छपार आयेगा और किसी बड़ी घटना को अन्जाम देगा। इस सूचना पर विश्वास करते हुये एसटीएफ टीम मु0नगर से छपार होते हुए रोहाना रोड पर ग्राम बिजोपुरा तिराहे पर पहुॅची तथा अपनी गाडियां खड़ी कर रोहाना की तरफ से आने वाले वाहनों की चैकिंग करने लगे। समय करीब 01.05 बजे एक ब्रेजा गाडी बिना नम्बर की रोहाना की तरफ से आई, जिसको टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो गाडी चालक ने गाड़ी नही रोकी और चालक ग्राम बिजोपुरा की तरफ तेजी से गाड़ी मोडकर भागने लगा, जिसकी गाड़ी ग्राम बिजोपुरा वाले रास्ते पर सडक के बायी और कुछ दूरी पर जाकर बैलेंस बिगडने के कारण सडक से नीचे उतरकर गडढे मे फंस गयी। तभी गाड़ी में चालक सीट से एक व्यक्ति नीचे उतरा और टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। एसटीएम टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुये बदमाश द्वारा की जा रही फायरिंग का जवाब नियन्त्रित फायरिंग से किया गया। इस फायरिंग के दौरान उक्त बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहॉ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरषः पालन किया गया।

शाहरूख पठान उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियाँः—

- शाहरूख पठान के पिता का नाम जरीफ हैं बचपन मे ही इसके फुफा अमीर आजम नि0 फक्करसा चौक, थाना कोतवाली शहर, जनपद मु0गनर की कोई सन्तान न होने के कारण उसने शाहरूख पठान को गोद ले लिया था और तभी से यह अपने फुफा के साथ रहने लगा। इसका फुफा अमीर आजम फक्करसा चौक मु0नगर पर साईकिल मरम्मत की दुकान चलाता है। शाहरूख भी इसी दुकान पर बैठता था। दुकान पर बैठने के दौरान ही बदमाष सोबी नि0 खालापार, मु0नगर से दोस्ती हो गयी थी।
- खालापार, मु0नगर में वसूली व वर्चस्व को लेकर शाहरूख पठान ने अपने साथी बदमाष सोबी के साथ मिलकर वर्ष 2015 में मु0नगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ जायदा नामक व्यक्ति जिसको नैनी जेल से मु0नगर कचहरी में पेशी के लिए लाया जा रहा था, की हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जी0आर0पी0 मु0नगर पर अ0सं0 11/15 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था।
- इस घटना में गिरफ्तार होने के पश्चात जेल में संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के सम्पर्क मे आ गया और संजीव जीवा के लिए काम करने लगा।
- कुछ दिन जेल मे रहने के पश्चात तारीख से लौटते समय यह थाना सिविल लाइन, जनपद मु0नगर से वर्ष 2016 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सि0लाइन मु0नगर पर अ0सं0 230/16 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत हुआ था।
- फरारी के दौरान जीवा के कहने पर वर्ष 2017 में थाना कोतवाली जनपद हरिद्वार क्षेत्र की निर्मला छावनी कालोनी में कम्बल व्यवसायी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। तब यह बात सामने आये थे कि संजीव जीवा के कहने पर कनखल के रहने वाले प्रोपर्टी डीलर सुभाष सैनी की हत्या करने आया था लेकिन हुलिया मिलता जुलता होने के कारण अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 139/17 धारा 302/34/120बी भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद हरिद्वार पर पंजीकृत हुआ था।

- इसी फरारी के दौरान वर्ष 2017 मे आसिफ जायदा मर्डर केस मे गवाह आसिफ जायदा के पिता यासीन की हत्या कर दी थी, जिसमें इस पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।
- इसके पश्चात यह उत्तराखंड में गिर0 होकर जेल चला गया और अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी मर्डर केस में संजीव जीवा के साथ इसे उम्र कैद की सजा हो गयी। वर्तमान में जमानत पर चल रहा था।
- करीब 06 माह पूर्व जमानत पर आने के बाद इसने हत्या के मुकदमो में गवाही देने वालों को धमकाना और जान से मारने का प्रयास करने लगा, जिसके सम्बन्ध में थाना बनियाठेर, जनपद सम्भल मे मु0अ0सं0 226/2025 धारा 109/126(2)/308(5) /351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था, जिसमें यह वांछित चल रहा था।
- हरिद्वार जेल रोशनाबाद में बंद शार्प शूटर शाहरूख पठान ने मोबाईल फोन का इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे बंदी रक्षक नितिन सजवाण की पिटाई कर दी थी।

<u>शाहरूख पठान पुत्र जरीफ का अपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	11/15	302 भादवि	जीआरपी	मु0नगर
2	47/15	2/3 गैगस्टर एक्ट	जीआरपी	मु0नगर
3	629/15	25/27 आर्म्स एक्ट	सि0लाइन	मु0नगर
4	230/17	223/224 भादवि	सि0लाइन	मु0नगर
5	1066/16	3 गुण्डा एक्ट	कोतवाली नगर	मु0नगर
6	139/17	302/120बी/34 भादवि	कोतवाली नगर	हरिद्वार
7	394/17	2/3 गैगस्टर एक्ट	कोतवाली नगर	हरिद्वार
8	744/17	386 भादवि	कोतवाली नगर	मु0नगर

9	775/17	302/120बी/506 भादवि	कोतवाली नगर	मु0नगर
10	2028/17	174ए भादवि	कोतवाली नगर	मु0नगर
11	226/25	109/126(2)/308(5)/351(3) बीएनएस	बनियाठेर	सम्भल
12	194/25	109(1)/351(3)/324(4) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	छपार	मु0नगर

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 194/2025 धारा 109(1)/351(3)/324(4) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया हैं। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 20.03.2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ की 14,973 पुलिस कार्यवाही की गई,

जिसमें 30, 694 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

आत्मरक्षार्थ की हुई कार्यवाही में 238 अभियुक्त मृत हुए तथा 9467 अभियुक्त घायल हुए हैं।

साहसिक पुलिस कार्यवाही के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए 18 पुलिस कर्मी शहीद एवं 1711 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं।

दिनांक 14.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 22/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0–एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 1.015 किग्रा मारफीन व 252 ग्राम चरस व 5.5 किग्रा गांजा व 06 ग्राम मेफेड्रान (डक्ड।) जिसका अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य (लगभग 10 करोड़ 29 लाख), एक अदद चार पहिया वाहन, 04 अदद मोबाइल व 79,530/– रुपया नगद बरामद।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्ग दर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0 लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना बाराबंकी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 04 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर 1. आयुष पुत्र श्रवण कुमार निषाद निवासी निवासी454/236 मोहल्ला गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, 2. सुफियान पुत्र मो0 सिकन्दर निवासी 426/1856 1856 वजीरबाग थाना सहादतगंज निकट नानाचक्की लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष, 3. श्रवण कुमार निषाद पुत्र स्व0 रामअवतार नि0454/236 मोहल्ला गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष व 4. नेहा निषाद पत्नी लक्की निषाद निवास 236/254 मोहल्ला गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 1.015 किग्रा मारफीन व 250 ग्राम चरस व गांजा 5.5 किग्रा व 06 ग्राम मेफेड्रान(डक्ड।),जिसका (अन्तराष्ट्रीय अनुमानित मूल्य 10 करोड़ 29 लाख लगभग), एक अदद चार पहिया वाहन, 04 अदद मोबाइल व 79,350/– रुपया नगद बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध मे घटनास्थल के आधार पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 393/25 धारा 8/20/21/29 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से एक–एक कर व संयुक्त रूप से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा अवैध मारफीन, गांजा, चरस, मेफेड्रान (MDMA) लाकर बेचकर भारी मात्रा मे मुनाफा कमाया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. आयुष पुत्र श्रवण कुमार निषाद निवासी 454/236 मोहल्ला गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ।

2. सुफियान पुत्र मो0 सिकन्दर नि0 426/1856 वजीरबाग थाना सहादतगंज निकट नानाचक्की लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष ।

3. श्रवण कुमार निषाद पुत्र स्व0 रामअवतार नि0 454/236 मोहल्ला गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष ।

4. नेहा निषाद पत्नी लक्की निषाद निवासी 454/236 मोहल्ला गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक– 13.07.2025, समय 04.00 बजे, स्थान– मोहल्ला–गउघाट, चौकी–गउघाट, थाना–ठाकुरगंज,लखनऊ ।

बरामदगी का विवरण

1– 1.015 किग्रा मारफीन, 252 ग्राम चरस, 5.5 किग्रा गांजा व 06 ग्राम मेफेड्रान (MDMA) अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य (लगभग 10 करोड़ 29 लाख) ।

2– 79,530/– रूपया व 100 यूरो का एक नोट नगद एवं 04 अदद मोबाइल बरामद ।

3– एक अदद चार पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर वाहन ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ

1–निरीक्षक दर्शन यादव

2–हे0का0 संगम पटेल

3–हे0का0 दिनेश सिंह

4–हे0का0 मो0 खालिद खान

5–का0 राजन कुमार

6–म0का0 प्रतिमा शुक्ला

7–म0का0 करिश्मा श्रीवास्तव

सहयोगार्थ चौकी गउघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ की टीम–

1–उ0नि0 सुधाकर पाण्डेय प्रभारी चौकी गउघाट

2– उ0नि0 पवन कुमार शर्मा

3–का0 अनुराग पाण्डेय

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विकासनगर

- **10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13/14.07.2025 को थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अंकुल 2–रोहित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो कमिश्नरेट लखनऊ से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विकासनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकुल निवासी ग्राम कबीरपुर थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–रोहित निवासी सठवारा थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

जनपद संतकबीरनगर/थाना धनघटा

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 39 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा शस्त्र आदि बरामद**

दिनांक 14.07.2025 को थाना धनघटा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साखी पुल के पास से 06 अभियुक्तों 1–साधू उर्फ मो0अजीज 2–बुलट उर्फ राम आसरे 3–अरमान अली 4–जुमराती 5–मुख्तार नट 6–परवेज आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 39 हजार रूपये नगद, चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा शस्त्र आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24/25.06.2025 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साधू उर्फ मो0अजीज निवासी ग्राम सेमरी गनेशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

2–बुलट उर्फ राम आसरे निवासी ग्राम कुदरा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर।

3–अरमान अली निवासी अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार।

4–जुमराती निवासी ग्राम नकौड़ी थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

5–मुख्तार नट निवासी ग्राम मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर।

6–परवेज आलम निवासी ग्राम अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 39 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के लगभग 03 लाख रूपये कीमत के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा शस्त्र आदि।

- **जनपद हरदोई/थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मिथुन उर्फ हरिश्चन्द्र को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बड़ौत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बड़ौत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रवि को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————